चन्दा बनाम बरजी मु.न. 03/24

दिनांक	आज्ञा पत्र	
22.7.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट स्वीकृत की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधि. सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 03 / 2024

1 चन्दा कंवर उम्र 25 साल
2 संतोष कंवर उम्र 35 साल पुत्रियां भुलसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बासड़ी खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 बरजी पत्नी भगवाना
2 पूरण पुत्र भगवाना
3 फूली देवी
4 घीसी देवी
5 कमला देवी
6 सजना देवी
7 बरफी देवी पुत्रियां भगवाना
समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम बासड़ी खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
8 बंशीधर
9 बलवीर
10 प्रहलाद
11 गिरधारी
12 शंकरलाल पुत्रगण भगवान
13 माली देवी पत्नी बिड़दू
14 तेजपाल
15 उमराव पुत्रगण बिड़दू
16 कमली
17 विमला
18 गोरा देवी पुत्रियां बिड़दू

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

समस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी नवोड़ी तन मगेगा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

19 तहसीलदार नीमकाथाना।
20 उगम कंवर पत्नी मूलसिंह
21 दशरथ सिंह
22 आनन्द सिंह पुत्रगण मूलसिंह
23 सुमन कंवर पुत्री मूलसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बासड़ी खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ आरएएस दावा संख्या 28/93 उनवानी भगवाना बनाम मूलसिंह आदि दिनांकित 27.03.2006

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र सिंह सुण्ड, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री महेन्द्र जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 22/7/25

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 28/93 में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2006 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी द्वारा एक वाद इस्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 87 खसरा नम्बर वर्तमान 79, 80, 81, 82, 83 वाके ग्राम बासड़ी खुर्द का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र धारा 5 पर सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलाधीन वाद पत्र में अपीलान्टस एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 20 लगायत 23 एवं उनके पूर्वज मूलसिंह पुत्र सुल्तान सिंह को किसी तरह की सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं मिलने के कारण अपीलाधीन वाद तथा उसमें पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के बारे में पूर्व में कोई जानकारी नहीं हो पाई। अपीलाधीन वाद के नोटिस पर अपीलान्टस एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस 20 लगायत 23 के पूर्वज मूलसिंह की फर्जी अंगूठा निशानी की हुई है। उक्त नोटिस पर अंकित अगूंठा निशानी मूलसिंह की नहीं होकर अपीलाधीन वाद के वादी के किसी साजशी व्यक्ति की है। अपीलान्टस एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस 20 लगायत 23 के पूर्वज मूलसिंह की फर्जी अंगूठा निशानी के आधार पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने बाबत आदेश पारित करवाकर अवैध रूप से निर्णय व डिक्री पारित करवा ली गई, जबकि प्रत्येक अपीलान्टस अपीलाधीन वाद में वर्णित पैतृक भूमियों के 1/6–1/6 हक हिस्से पर काबिज काश्त चली आ रही है। परंतु दिनांक 28.11.2023 को जब अपीलान्टस अपीलाधीन वाद में वर्णित भूमियों में से अपने हक हिस्से की देखभाल करने गई हुई थी तब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांटस को यह धमकी दी कि इन जमीनों के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा काफी वर्षों पूर्व हमारे पक्ष में फैसला करवा लिया गया था और अभी कुछ दिनों पहले निर्णय व डिक्री के आधार पर इन भूमियों के संबंध में खातेदारी में हमारा नाम अंकित हो चुका है। इस पर अपीलान्टस द्वारा जानकारी करके दिनांक 29.11.2023 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत करके दिनांक 19.12.2023 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त

की गई तब सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के बारे में जानकारी हुई। उसके पश्चात अपील खर्चे हेतु रूपयों की व्यवस्था करके एवं अपील साहब से अपील तैयार करवाकर यथाशीघ्र अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, इस प्रकार अपील दायरी में हुआ विलम्ब सद्भाविक होने के कारण काबिले माफ है। अतः आवेदन स्वीकार किया जाकर उपरोक्त सदभाविक कारण से अपीलाधीन आदेश के बाबत जानकार में हुआ विलम्ब माफ किया जाना प्रार्थनीय है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2023 पेज 667 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्टस के पिता मूलसिंह को विचारण न्यायालय द्वारा दावे का सुनवाई का नोटिस विधिवत जारी किया था और उक्त नोटिस दिनांक 25.02.2003 को न्यायालय में उपस्थित होने का था जिसकी एक प्रति स्वयं मूलसिंह को तामिल कुनिन्दा द्वारा दी गई व मूलसिंह ने उक्त दावे का सम्मन प्राप्त कर अपना अंगूठा निशानी उक्त सम्मन की पुश्त पर लगाया उक्त असल तामील शुदा सम्मन विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है तथा इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उतरदाता अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर रहे है। विचारण न्यायालय द्वारा जारी सम्मन मूलसिंह को प्राप्त होने के बावजूद मूलसिंह जब विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ तब उसके विरूद्ध दिनांक 11.04.2003 को इकतरफा कार्यवाही किए जाने का आदेश पारित किया गया। प्रार्थीगण ने दिनांक 28.11.2023 को अपीलान्टस द्वारा विवादग्रस्त भूमियों की देखभाल करने जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा यह धमकी दिये जाने पर कि इन जमीनों के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा काफी वर्षों पूर्व हमारे पक्ष में फैसला करवा लिया था व खातेदारी भी हमारे नाम अंकित हो चुकी है इस तरह की कोई बातचीत अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य दिनांक 28.11.2023 को नहीं हुई प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में समस्त कथन कतई गलत अंकित किए है तथा अपील को मियाद में लिये जाने हेतु उक्त कथन कतई गलत व मनघड़त अंकित किये है प्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांकित 27.03.2006 के विरूद्ध 18 वर्ष लम्बे अन्तराल बाद अपील प्रस्तुत की गई है जो मियाद बाहर होने से इसी बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य है। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के यहा वादी भगवानाराम पुत्र बीन्जाराम जाति गुर्जर निवासी बासडी खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के यहां एक दावा अनुवानी भगवाना बनाम मूलसिंह आदि दावा संख्या 28/2003 प्रस्तुत किया गया था इसी दौरान एक प्रार्थना पत्र अनुवानी जीवण बनाम मूलसिंह आदि मु.नं. 14/1993 इन्ही विवादग्रस्त आराजियात के संबंध में था में विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना को वादग्रस्त भूमि के मौका मुआयना हेतु कमिश्नर नियुक्त किया था न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के आदेश से तहसीलदार नीमकाथाना मुकदमा उनवानी जीवण आदि बनाम मूलसिंह वगै. मु.नं. 14/93 में दिनांक 16.07.96 को वादग्रस्त स्थल पर दोनों पक्षों को सूचित कर मौका मुआयना हेतु पहुचे उपरोक्त प्रार्थना पत्र में अपीलान्टान के पिता मूलसिंह बतोर अप्रार्थी पक्षकार थे जिनके सामने तहसीलदार नीमकाथाना ने मौका मुआयना का पूर्व में पक्षकारान को नोटिस दिया था व मौका मुआयना कार्यवाही मौके पर की गई व मौका मुआयना के समय ही अपीलान्टान के पिता मूलसिंह पुत्र सुल्तानसिंह मौके पर गये व मूलसिंह ने तहसीलदार को बताया कि करीब 3 साल पहले मैंने जमीन खसरा नम्बर 87 का आधा हिस्सा भगवाना पुत्र केशा अहीर को बेच दिया है। उक्त मौका रिपोर्ट पर श्री मूलसिंह ने तहसीलदार नीमकाथाना के समक्ष अपनी अंगुठा निशानी किया था। स्पष्ट है कि अपीलांट के पिता को विचाराधीन प्रकरण की प्रारम्भ से जानकरी रही है। इसकी पुष्टि धारा 5 के जवाब आवेदन के साथ प्रस्तुत नोटिसो की प्रति से होती है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2019 पेज 20, आरआरटी 2007 पेज 559, एआईआर 2012 पेज 1629, एआईआर 2011 पेज 1199 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्टस के पिता मूलसिंह को विचारण न्यायालय द्वारा दावे का सुनवाई का नोटिस विधिवत जारी किया था और उक्त नोटिस दिनांक 25.02.2003 को न्यायालय में उपस्थित होने का था जिसकी एक प्रति स्वयं मूलसिंह

भू-प्रबंध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

को तामिल कुनिन्दा द्वारा दी गई व मूलसिंह ने उक्त दावे का सम्मन प्राप्त कर अपना अंगूठा निशानी उक्त सम्मन की पुश्त पर लगाया उक्त असल तामील शुदा सम्मन विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है तथा इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि रेस्पोडेन्ट ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है।

विचारण न्यायालय द्वारा जारी सम्मन मूलसिंह को प्राप्त होने के बावजूद मूलसिंह जब विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ तब उसके विरूद्ध दिनांक 11.04.2003 को इकतरफा कार्यवाही किए जाने का आदेश पारित किया गया। प्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांकित 27.03.2006 के विरूद्ध 18 वर्ष लम्बे अन्तराल बाद अपील प्रस्तुत की गई है जो मियाद बाहर होने से इसी बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य है।

विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के यहा वादी भगवानाराम पुत्र बीन्जाराम जाति गुर्जर निवासी बासडी खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के यहां एक दावा अनुवानी भगवाना बनाम मूलसिंह आदि दावा संख्या 28/2003 प्रस्तुत किया गया था इसी दौरान एक प्रार्थना पत्र अनुवानी जीवण बनाम मूलसिंह आदि मु.नं. 14/1993 इन्ही विवादग्रस्त आराजियात के संबंध में था में विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना को वादग्रस्त भूमि के मौका मुआयना हेतु कमिश्नर नियुक्त किया था न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के आदेश से तहसीलदार नीमकाथाना मुकदमा उनवानी जीवण आदि बनाम मूलसिंह वगै. मु.नं. 14/93 में दिनांक 16.07.96 को वादग्रस्त स्थल पर दोनों पक्षों को सूचित कर मौका मुआयना हेतु पहुचे उपरोक्त प्रार्थना पत्र में अपीलान्टान के पिता मूलसिंह बतोर अप्रार्थी पक्षकार थे जिनके सामने तहसीलदार नीमकाथाना ने मौका मुआयना का पूर्व में पक्षकारान को नोटिस दिया था व मौका मुआयना कार्यवाही मौके पर की गई व मौका मुआयना के समय ही अपीलान्टान के पिता मूलसिंह पुत्र सुल्तानसिंह मौके पर गये व मूलसिंह ने तहसीलदार को बताया कि करीब 3 साल पहले मैंने जमीन खसरा नम्बर 87 का आधा हिस्सा भगवाना पुत्र केशा अहीर को बेच दिया है। उक्त मौका रिपोर्ट पर श्री मूलसिंह ने तहसीलदार नीमकाथाना के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

समक्ष अपनी अंगुठा निशानी किया था। स्पष्ट है कि अपीलांट के पिता को विचाराधीन प्रकरण की प्रारम्भ से जानकारी रही है।

अपीलान्ट के पिता को विवादित भूमि के संदर्भ में प्रकरण की जानकारी होने की पुष्टि धारा 5 के जवाब आवेदन के साथ प्रस्तुत नोटिसो की प्रति से होती है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22/7/15 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर